न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
अपील/टीए/338/2017

श्यामलाल बनाम कृष्णाकुमारी

दिनांक	कार्यवाही विवरण	वी गई कार्यवाही मय इन्यीसीयियल
30.8.18	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी/अपीलार्थी ने प्रा.पत्र पर बहस के समय निवेदन किया की उनके द्वारा विचाराधीन अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। जबकि धारा 187–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित निर्णय एवं डिक्री की अपील का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नही है अतः अपील प्रार्थी मूल ही लौटा दी जावे। चूकि अपीलाधीन निर्णय की अपील/रिवीजन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की जानी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल अपील लौटाई जावे। जबकि अधिवक्ता विपक्षी/प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है जिसके साथ उनके द्वारा धारा 5 अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया है। उनके द्वारा अपील जो विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का कारण अंकित किया है वही सदभावी नही है। अपीलार्थी ने जानबुझकर देरी की अवधि के तथ्य को समायोजित करने के लिये अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है अतः प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 187–बी खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अन्तर्गत धारा–187 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 187–बी में पारित निर्णय एवं डिक्री की अपील का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को नही है उक्त अपील सहवनवश न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी है जिस पर यदि पत्रावली खारिज की जाती है तो अपीलाण्ट को अपील का मौका नही मिल पायेगा। अतः न्यायहित में पत्रावली लौटाई जाती है। अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को नही होने से न्यायिक उध्दरण आर एल डब्ल्यु 2009(4) पेज 3363 में प्रतिपादित सिध्दांत के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो अधिवक्ता अपीलार्थी को लौटाई जावे। अपील मेमो की फोटो प्रति मूल अपील पत्रावली के साथ संलग्न की जावे।पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील के दाखिल दफतर हो। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा	/